No.F.7-09/2026/Legal/ 4133

केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड

Central Board of Open Schooling and Examination

प्रशासनिक भवनः चतुर्थ तल, प्राइम प्लाजा, इन्दिरा नगर, लखनऊ 226016
Website/वेबसाइट: www.cbose.com Contact No./संपर्क सूत्रः 9557361231

Date / दिनांकः 19/06/2026

सेवा में,

सचिव,

विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन

देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय– केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के समकक्षता/समानता प्रकरण में पूर्व से प्रेषित पाठ्यक्रम फाइल पर विधिसम्मत, कारणयुक्त एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने तथा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सक्षम अधिकारियों को आवश्यक वैधानिक/प्रशासनिक निर्देश निर्गत किए जाने के संबंध में विधिक प्रार्थना–पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी बोर्ड द्वारा समकक्षता/समानता प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक अभिलेख, पाठ्यक्रम संबंधी विवरण तथा पूर्व में अपेक्षित फाइलें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समय–समय पर प्रस्तुत की जा चुकी हैं। तथापि, विगत लगभग छह माह से उक्त प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया है, जिससे प्रार्थी बोर्ड, उससे संबद्ध विद्यार्थियों तथा शैक्षिक हितों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

1. यह कि, यह तथ्य अत्यन्त गंभीर है कि प्रकरण में एक कथित, स्वयंभू एवं प्रथमदृष्टया वैधानिक मान्यता से रहित/विवादित संस्था **"COBSE"** के कथनों, पत्राचार अथवा आपत्तियों को असंगत रूप से आधार बनाकर प्रार्थी बोर्ड की फाइल को लगभग छह माह से लंबित रखा गया प्रतीत होता है। जबकि किसी भी ऐसी संस्था, जिसका वैधानिक अधिकार–क्षेत्र, विधिक प्रामाणिकता अथवा बाध्यकारी प्रभाव स्पष्ट, प्रमाणित एवं विधिसम्मत रूप से स्थापित न हो, उसे किसी मान्यता/समकक्षता प्रकरण में निर्णायक आधार बनाया जाना नितान्त अवैध, मनमाना तथा प्रशासनिक विवेक का दुरुपयोग है। प्रार्थी बोर्ड के संज्ञानानुसार, उक्त विवादित प्रसंगों के कारण केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड को पूर्व में न्यायालय की शरण तक लेनी पड़ी है, अतः ऐसे विवादित स्रोत के आधार पर फाइल लंबित रखना न केवल विधि–विरुद्ध है, बल्कि यह प्रकट करता है कि निर्णय–प्रक्रिया को विधिसम्मत अभिलेखों के स्थान पर बाह्य एवं अप्रासंगिक कारकों से प्रभावित किया गया।
2. यह कि, विशेष रूप से निवेदन है कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्गत पत्रों/निर्देशों, प्रासंगिक अभिलेखों एवं पूर्व में विधिवत जमा की गई सिलेबस फाइल को भी अपेक्षित महत्व न देते हुए आज दिनांक तक कोई अंतिम, कारणयुक्त, बोलता हुआ एवं विधिसम्मत आदेश पारित नहीं किया गया है। उत्तराखण्ड बोर्ड/उसके उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा यह निरन्तर विलंब प्रशासनिक निष्क्रियता मात्र नहीं, बल्कि वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में घोर उदासीनता, मनमानी, प्रासंगिक सामग्री की अवहेलना तथा निष्पक्ष निर्णय–प्रक्रिया

के उल्लंघन का द्योतक है। यह आचरण वैध प्रत्याशा, निष्पक्ष प्रशासन, प्राकृतिक न्याय तथा समयबद्ध निर्णय के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

3. यह कि, यह स्थापित विधि है कि जब किसी आवेदक/संस्था द्वारा अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत कर दिए जाएँ और विषयवस्तु पर सक्षम प्राधिकारी को निर्णय लेना हो, तब निर्णय–प्रक्रिया केवल तथ्यों, अभिलेखों, सक्षम शासकीय पत्राचार तथा लागू विधिक प्रावधानों के आधार पर ही संपादित की जा सकती है, किसी कथित, विवादित, अप्रमाणित अथवा गैर–प्रासंगिक संस्था की आपत्तियों के आधार पर नहीं। यदि किसी बिंदु पर कोई वास्तविक अभाव अथवा विधिसम्मत आपत्ति थी, तो उत्तराखण्ड बोर्ड के अधिकारियों/सचिव का विधिक दायित्व था कि उसे बिंदुवार, लिखित और कारणयुक्त रूप में अभिलिखित कर प्रार्थी बोर्ड को अनुपालन का अवसर प्रदान करते। इसके विपरीत, फाइल को छह माह तक लंबित रखना, बिना किसी अंतिम निर्णय के टालते रहना, प्रशासनिक न्याय के मानकों के विपरीत, दुर्भावनारहित शासन की संवैधानिक अपेक्षा के प्रतिकूल तथा विधिक दृष्टि से अस्थिर आचरण है।

4. उपर्युक्त समस्त तथ्यों, अभिलेखों, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के पत्रों, पूर्व में प्रस्तुत सिलेबस फाइल तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए, मान्यवर से विनम्र किंतु दृढ़ प्रार्थना है कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव/सक्षम अधिकारी को तत्काल आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए जाएँ, जिससे प्रार्थी बोर्ड के समकक्षता/समानता प्रकरण पर विधिसम्मत, कारणयुक्त एवं समयबद्ध निर्णय लिया जा सके। यह भी प्रार्थना है कि पूर्व में प्रेषित सिलेबस/पाठ्यक्रम फाइल को अभिलेख पर लेकर उस पर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जाए, तथा यदि परिषद के स्तर पर कोई कमी, शंका या अतिरिक्त अभिलेख अपेक्षित हों तो उनका स्पष्ट विवरण निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रार्थी बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए, जिससे अनुपालन तत्काल किया जा सके।

प्रासंगिक न्यायिक दृष्टांत एवं विधिक सिद्धांत

5. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **E-P- Royappa v/s State of Tamil Nadu** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राज्य अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्यवाही मनमानी से मुक्त होनी चाहिएय मनमानी, समानता के सिद्धांत के विपरीत मानी जाती है। अतः जब अन्य मान्य बोर्डों के विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर उपलब्ध हो और प्रस्तुत बोर्ड का प्रकरण बिना कारण लंबित रखा जाए, तो यह समानता एवं गैर–मनमानी प्रशासनिक आचरण के मानकों की कसौटी पर गंभीर प्रश्न उत्पन्न करता है।

6. **Maneka Gandhi v/s Union of India** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रशासनिक निर्णयों में न्यायसंगत, उचित एवं निष्पक्ष प्रक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस सिद्धांत के आलोक में, विश्वविद्यालय पर यह दायित्व और भी प्रबल हो जाता है कि वह प्रस्तुत अभ्यावेदन पर समयबद्ध, पारदर्शी एवं निष्पक्ष निर्णय ले।

7. यह कि, उपर्युक्त ओपन स्कूलिंग –संबंधी विधिक स्थिति से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि किसी मान्यता प्राप्त ओपन स्कूलिंग/वैकल्पिक बोर्ड के विद्यार्थियों को केवल पोर्टल–लिस्टिंग के अभाव में प्रवेश प्रक्रिया से बाहर रखना न्यायोचित नहीं है। यदि **उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद** को किसी बोर्ड की मान्यता, समकक्षता या दस्तावेजों पर कोई वास्तविक आपत्ति हो, तो उसे स्पष्ट, लिखित और कारणयुक्त रूप में सूचित किया जाना चाहिए, अन्यथा सूचीकरण/प्रवेश प्रक्रिया को लंबित रखना छात्रों के हितों के प्रतिकूल तथा मनमाना माना जा सकता है।

अतः, न्यायहित में, छात्रहित में तथा सुशासन के सिद्धांतों के अनुपालनार्थ मान्यवर से निम्नलिखित आदेश/निर्देश पारित किए जाने की कृपा की जाएः–

(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव/संबंधित सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया जाए कि केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के

समकक्षता/समानता संबंधी प्रकरण का परीक्षण समस्त उपलब्ध अभिलेखों एवं भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के पत्रों के आलोक में समयबद्ध अवधि में किया जाए।

(ख) पूर्व में प्रेषित सिलेबस/पाठ्यक्रम फाइल पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कर उसका निस्तारण विधिसम्मत आदेश द्वारा किया जाए। किसी कथित, स्वयंभू, गैर–वैधानिक, विवादित अथवा बाध्यकारी प्रभाव से रहित संस्था/आपत्ति के आधार पर फाइल लंबित रखने की अवैध प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाते हुए निर्णय केवल विधिसम्मत अभिलेखों, शासकीय निर्देशों एवं लागू नियमों के आधार पर लिया जाए।

(ग) यदि कोई आपत्ति/कमी हो तो उसे बिंदुवार, लिखित एवं कारणयुक्त रूप में प्रार्थी बोर्ड को अवगत कराया जाए और अनुपालन हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाए।

(घ) समस्त कार्यवाही पूर्ण कर एक कारणयुक्त, बोलता हुआ आदेश निश्चित समय–सीमा के भीतर पारित किया जाए, तथा विलंब, लापरवाही अथवा अप्रासंगिक संस्थाओं के प्रभाव में प्रकरण लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों की जवाबदेही भी नियमानुसार सुनिश्चित की जाए, जिससे अनावश्यक वाद–विवाद एवं छात्रहित की हानि रोकी जा सके।

प्रार्थी,

A. Giri 19/05/2026

(अभिषेक गिरि एडवोकेट)
अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा
बोर्ड की ओर से

प्रष्ठांकन संख्याः– F.7-09/2026/विधिक प्रकोष्ठ/4133 **दिनांकः** 19/05/ **2026**

प्रतिलिपि सूचनार्थ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **सचिव,** उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)–सूचनार्थ, आवश्यक अनुपालन एवं प्रकरण पर विधिसम्मत, समयबद्ध कार्यवाही हेतु।
2. **निदेशक,** माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड–सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रशासकीय परीक्षण/समुचित कार्यवाही हेतु।
3. **संबंधित अनुभाग/अभिलेख**–अभिलेख पर संधारण, आवश्यक अभिलेखीय परीक्षण एवं नियमानुसार आगामी कार्यवाही हेतु।
4. **कार्यालय प्रति**–भावी सन्दर्भ एवं अभिलेखीय संरक्षणार्थ सुरक्षित।

सचिव / Secretary
केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड (नई दिल्ली)
Central Board of open Schooling & Examination, New Delhi

(अभिषेक गिरि एडवोकेट)
अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा
बोर्ड की ओर से